राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 05 / 2024

उनवान : तहसीलदार सुमेरपुर बनाम लक्ष्मी अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 05 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 354

प्रार्थीगण :– बनाम अप्रार्थीगण :–

तहसीलदार सुमेरपुर

लक्ष्मी पत्नी करणसिंह के कायम मुकामः–

1.1. अर्जुनसिंह पुत्र पुत्र करणसिंह जाति राजपुत निवासी सुमेरपुर
1.2. लीला कंवर पुत्री करणसिंह पत्नी सवाईसिंह निवासी राडबर (शिवगंज) सिरोही
1.3. अन्तर कंवर पुत्री करणसिंह पत्नी शैतानसिंह निवासी पोमावा तह. सुमेरपुर
1.4. सुखी कंवर पुत्री करणसिंह पत्नी सोहनसिंह निवासी रामनगर तहसील सुमेरपुर
1.5. पवन कंवर पुत्री करणसिंह पत्नी पीरसिंह निवासी रामनगर तहसील सुमेरपुर

(मुहर: न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली))

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 व 9 के तहत ग्राम पुराड़ा के नामान्तरकरण संख्या 483 के रेफरेन्स हेतु।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विशनसिंह सोढ़ा उपस्थित।

<u>–:निर्णयः–</u>

दिनांकः **26.05.2026**

तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 एवं 09 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौजा पुराड़ा तहसील सुमेरपुर के नामान्तरकरण संख्या 483 को निरस्त कर नियमानुसार रेफरेन्स तैयार कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल को अग्रेषित कराने हेतु निवेदन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 05/2024

उनवान : तहसीलदार सुमेरपुर बनाम लक्ष्मी अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा पुराड़ा पटवार मण्डल पोमावा तहसील सुमेरपुर में स्थित राजकीय सिवायचक भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है को जरिये नामान्तरकरण संख्या 483 के जरिये आवंटन किया गया है:-

मिसल बन्दोबस्त/जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2061 से 64 ग्राम पुराड़ा

क्र.स.	खाता संख्या	भूमि का विवरण				वि.वि.
		खसरा	रकबा	किस्म	लगान	
1.	नाकाबिल काश्त राज. सरकार	932	49.15	गै.मु.नदी		

उक्त वर्णित राजकीय सिवायचक आराजी को जरिये ना.करण संख्या 483(एक) के निम्नांकित के पक्ष में आवंटन किया गया है:-

क्र. स.	ग्राम का नाम	काश्तकार का नाम	भूमि का विवरण				वि.वि.
			खसरा	रकबा	किस्म	लगान	
1.	पुराड़ा	श्रीमती लक्ष्मी पत्नी धरम सिंह राजपुत निवासी सुमेरपुर	932/1	0.04	गै.मु.कुआ		

अतः उक्त वर्णित नामान्तरकरण संख्या 483 को निरस्त करने हेतु नियमानुसार रेफरेन्स तैयार करवाकर राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विशनसिंह सौढा उपस्थित आए।

वक्त बहस सरकारी पैरोकार ने निवेदन किया कि ग्राम पुराड़ा के पूर्व खसरा संख्या 932 गै.मु. नदी में से अप्रार्थीगण की माता स्व. लक्ष्मी कंवर के पक्ष में सिंचाई प्रयोजनार्थ कुंआ हेतु 0.04 हैक्टेयर भूमि लीज हेतु आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान प्रकरण में प्रदत्त आदेश के विपरित होने से दाखिल नामान्तरकरण 483 दिनांक 15.02.2004 को निरस्त करने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत तर्कों का प्रतिकार करते हुए अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने वक्त बहस निवेदन किया कि वक्त आंवटन अब्दुल रहमान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा फैसला नहीं दिया गया था एवं भूतलक्षी प्रभाव से इसे लागू नहीं किया जा सकता। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजी आधार पर यह निर्विवादित रुप से सिद्ध है कि स्व. लक्ष्मीकंवर के पक्ष में किया गया लीज आवंटन गै.मु. नदी किस्म की भूमि से संबंधित है, जो कि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है।

अतः अप्रार्थीगण की माता श्रीमती लक्ष्मी को गै.मु.नदी में से किया गया आवंटन नियमों के विपरित होने से आवंटन आदेश व इसके आधार पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत किये गये

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 05/2024

उनवान : तहसीलदार सुमेरपुर बनाम लक्ष्मी अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

नामान्तरकरण संख्या 483 दिनांक 15.02.2004 व अब तक किये राजस्व रिकॉर्ड में सभी इन्द्राज को निरस्त करने हेतु रेफरेन्स करना आवश्यक है।

अतः प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर को रेफरेन्स कर निवेदन है कि ग्राम पुराड़ा तहसील सुमेरपुर के खसरा नम्बर 932 रकबा 49.15 हैक्टेयर में से 0.04 हैक्टेयर भूमि का अप्रार्थीगण की माता के हक में दिनांक 09 मई 1994 को किया गया आवंटन व बाद से अब तक किये गये सभी राजस्व रिकॉर्ड के इन्द्राज (नामान्तरकरण संख्या 483 आदि) को निरस्त कर उक्त भूमि पूर्वानुसार गैर मुमकीन नदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करावे।

निर्णय आज दिनांक **26.05.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली (पाली)